

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
दिनांक:-

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी,

विषय:- निःशक्तजनों से सम्बन्धित जारी राजपत्र एवं अन्य
आदेशों को भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषय लेख है कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी राजपत्र जो 1 जनवरी
2010 को सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसकी फोटो प्रतियाँ एवं अन्य
आदेश जो चिकित्सा विभाग ने जारी किये हैं, उन्हें आपको नेट द्वारा
भिजवाया जा रहा है ताकि आप समय-समय पर इनका अवलोकन कर,
निशक्तजनों को पूर्व लाभ दे सकें। साथ ही उन चिकित्सको/बोर्ड के
विरुद्ध कार्यवाही करे जो निशक्तजनों के प्रति दुराशय से प्रमाण पत्र जारी
करते हैं या करवाते हैं। इस आदेश की शीघ्र पालना करवावें, ताकि
निशक्तजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

Sd/-
अतिरिक्त निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-चि.प्र./2010/ 222

दिनांक: 8/12/2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण, दौसा के निर्णय एम.ए.सी
नं: 702/2007 मुरारीलाल बनाम रामलाल आदि के निर्णय में दिये
गये निर्देशों की पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. उपविधि परामर्शी मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर को
भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को नेट पर डलवाने का श्रम करे।

A
अतिरिक्त निदेशक (चि0प्र0)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें
राजस्थान जयपुर।